न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 22 / 2020 / बाड़मेर

अपीलांट

रेस्पोडेंटगण

1. मीरा पुत्र मोहम्मद उम्र 30 वर्ष
2. जाम पुत्र मोहम्मद उम्र 27 वर्ष
3. पठाण पुत्र मोहम्मद उम्र 33 वर्ष

जाति मुसलमान निवारी निम्बासर तहसील शिव व जिला बाड़मेर

बनाम

1.कंडे खां पुत्र साधक खां 37 वर्ष जाति मुसलमान निवासी इमामें की ढाणी(देवीकोट) तहसील फतेहगढ़ जिला जैसलमेर हाल निम्बासर तहसील शिव जिला बाड़मेर।

2.श्याम सुन्दर पुत्र तौलाराम उम्र वर्ष जाति खत्री निवासी शिव तहसील शिव जिला बाड़मेर

3.शाखा प्रबंधक बी.सी.बी.सी. शाखा शिव

4.राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार शिव।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर शिव द्वारा राजस्व वाद संख्या 222 / 2018 बअनवान कंउेखां बनाम पठाण वगै. में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 16.03.2020 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री कमलेश फोफलिया अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री बांकाराम चौधरी रेस्पोडेंट की ओर से।

निर्णय

दिनांकः— 25.01.2022

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि उतरदाता संख्या 01 कण्डे खां ने खातेदारी विभाजन एवं पाने स्थायी निषेधाज्ञा का एक वाद न्यायालय सहायक कलक्टर षिव में पेष कर निवेदन किया कि उपरोक्त आराजी में वादी ने पूर्व खातेदार अजीमत पत्नी मोहमद से उसका सम्पूर्ण 1 / 4 हिस्सा में रकबा 11.02

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर

बीघा जरिये पंजीबद्ध बैचान दस्तावेज संख्या 2013001032 दिनांक 09.07.2013 को क्रय की गई थी जिस आराजी 1/4 हिस्सा रकबा 11.02 बीघा मौके पर कब्जा एवं काष्त के अनुसार विभाजन करवाने हेतु हस्तगत वाद पेष किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार षिव से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर अपीलांट द्वारा मौखिक आपति जाहिर की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेंट/वादी को हाईवे के निकट वाली बेषकीमती भूमि प्रस्तावित की गई है जबकि अपीलांटगण के हिस्से की भूमि को अंतिम छोर तक दी गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिस विभाजन प्रस्ताव के आधार पर आलोच्य अंतिम निर्णय व डिक्री जारी की गई वह अपीलांटगण की अनुपस्थिति में एकपक्षीय रूप से तैयार किया गया। उक्त विभाजन प्रस्ताव पर अपीलांटगण को अपनी आपतिंयों पेष करने का अवसर नहीं दिया गया। हस्तगत विभाजन प्रस्ताव गलत तैयार कर भिजवाया गया है जो राजस्व नियम 18 से 21 की पालना नहीं करता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये ही विधि के सुस्थापित सिद्धांतों के विपरीत जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है जो काबिल निरस्त योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एकपक्षीय पारित किया गया है। अपीलांट को सुने बिना निर्णय पारित किया गया है। राजस्थान काष्तकारी अधिनियम (राजस्व मण्डल) 1955 की नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अपीलांट को विभाजन प्रस्ताव तैयार करते वक्त किसी प्रकार की सूचना एवं नोटिस नहीं दिया गया है। अपीलाधीन विभाजन प्रस्ताव पर अपीलांट से आपत्ति लिये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये ही विधि के सुस्थापित सिद्धांतों के विपरीत जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर

खिलाफ है। यह बंटवारा By Metes & Bounds के आधार पर नहीं किया गया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने अपनी बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की उपस्थिति में दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिस विभाजन प्रस्ताव के आधार अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है विधि सम्मत है जिसमें किसी तरह की कमी नहीं हैं क्योंकि सभी पक्षकारों को पूर्व सूचना के तहसीलदार षिव स्वयं ने मौके पर पक्षकारान के कब्जा काष्त के अनुसार उभयपक्षकारान के रूबरू विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया है जो विभाजन प्रस्ताव मौके पर पक्षकारान के कब्जा काष्त अनुसार सही है। विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय अपीलांटगण मौके पर हाजिर आये तथा विभाजन प्रस्ताव पर हस्ताक्षर/अंगुष्ठ निषान करने से मना किया। अपीलांट द्वारा हस्तगत वाद को लंबा करने नीयत से गलत रूप से अपील पेष की गई है जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने वादग्रस्त भूमि की सही विधिवत हिस्से अनुसार घोषणा कर बंटवाड़ा किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय By Metes & Bounds सिद्धांत के आधार पर पारित किया गया है। इसलिए अपीलांट की अपील खारिज फरमायी जावे।

सर्वप्रथम धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलाधीन निर्णय एकपक्षीय पारित किया गया है। हस्तगत वाद का अपीलांटगण को लॉकडाउन होने की वजह से नहीं हो पाया तथा दिनांक 18.06. 2020 को नकलें प्राप्त करने पर सर्वप्रथम जानकारी हुई तथा वास्तविक ज्ञान की

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर

तारिख से अपील अन्दर मियाद पेष है। अपील पेष करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलांटगण/प्रतिवादी द्वारा अपील पेष करने में हुई देरी सद्भाविक नहीं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री उभयपक्ष की उपसिोति में पारित की गई है फिर भी अपीलांटगण को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी नहीं होने का तथ्य सरासर गलत एवं झूठा है। अपील पेष करने में हुई देरी के एक–एक दिन का उचित व युक्तियुक्त कारण नहीं दर्षाया गया है जबकि विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि अपील पेष करने में हुई देरी के एक–एक दिन का हिसाब न्यायालय के समक्ष पेष करना चाहिए था जो नहीं किया गया है। अपील पेष करने में हुऐ विलंब के बारे में मनगढत व झूठे तथ्य अंकित किये है। अतः लिमिटेषन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की उपस्थिति में पारित किया गया। अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत अपील अकारण विलम्ब से पेश की गई है फिर भी काविद–19 को ध्यान में रखते हुए न्यायहित में हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन व विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव तैयार करते वक्त तहसीलदार स्वयं द्वारा मौका मुआयना नहीं किया गया। विभाजन प्रस्ताव तैयार करते वक्त राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955

राजस्व अपील अधिकारी
बाडमेर

के नियम 20 से 21 की पालना नहीं की गई। विभाजन प्रस्ताव बकायदा भूमिधारक (तहसीलदार) शिव स्वयं ने मौके पर जाकर अपनी उपस्थिति में नियमानुसार भूमि की गुणवत्ता, स्थायी अलागात/कब्जे/मार्ग को मद्देनजर रखते हुए तैयार नहीं किया गया। अपीलाधीन निर्णय विधिसम्मत By metes & Bounds सिद्धांत के आधार पर तैयार नहीं किया गया। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील को आंशिक स्वीकार कर प्रकरण को रिमाण्ड करना उचित ठहरता है।

अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर शिव द्वारा राजस्व वाद संख्या 222/2018 बअनवान कंडेखां बनाम पठाण वगै. में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 16.03.2020 को अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर मौके से तहसीलदार स्वयं से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर विधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 15.03.2022 को उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे।

25/1/22

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 25.01.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

25/1/22

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर